NEWS FOR UPSC

UPSC

IAS/PCS

STATE EXAM

All Exam

ABHAY SIR

CURRENT AFFAIRS

27 Dec. 2024

वन्य जीव एवं जैव विविधता

Result Mitra

- वर्तमान में साल उत्तरी मुरीकिस बंदरों की आबादी 1982 की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है

- इसके बावजूद भी एक अध्ययन से पता चला है कि इनके आवासों के नष्ट होने की वजह ये ये खतरे की कगार में हैं।

उत्तरी मुरीकिस बंदर :–

1.ब्राजील के अटलांटिक जंगलों में रहने है

2. इन्हे ऊनी मकड़ी बंदरों के रूप में भी जाना जाता है

3.अन्य बंदरों की तुलना में बहुत अधिक शांतिपूर्ण होते हैं।

4.वे दुनिया में बंदरों की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक हैं।

Result Mitra

खतरे की कगार पर क्यों :–

1. पेड़ों की उत्पादकता में गिरावट

2. भोजन की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ना

3. जलवायु तनाव

4.शिकार के कारण मृत्यु दर में वृद्धि।

'सुपर-एज्ड (Super-Aged)' समाज

- **चर्चा में क्यों:–** हाल ही में दक्षिण कोरिया ने खुद को 'सुपर-एज्ड (Super-Aged)' समाज घोषित किया है।

- किसने की घोषणा:– दक्षिण कोरिया की इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री ने

- इसकी 3 कैटागोरी होती है :– 'एजिंग (Aging)','एज्ड (Aged)','सुपर-एज्ड (Super-aged)'।

- 'एजिंग (Aging)' :– जब किसी देश में कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 7% से अधिक हो जाए तो उसको 'एजिंग (Aging)' कंट्री माना जाता है

- 'सुपर-एज्ड (Super-aged)' :– जब किसी देश में कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो जाए तो उसको 'सुपर-एज्ड (Super-aged)' कंट्री माना जाता है।

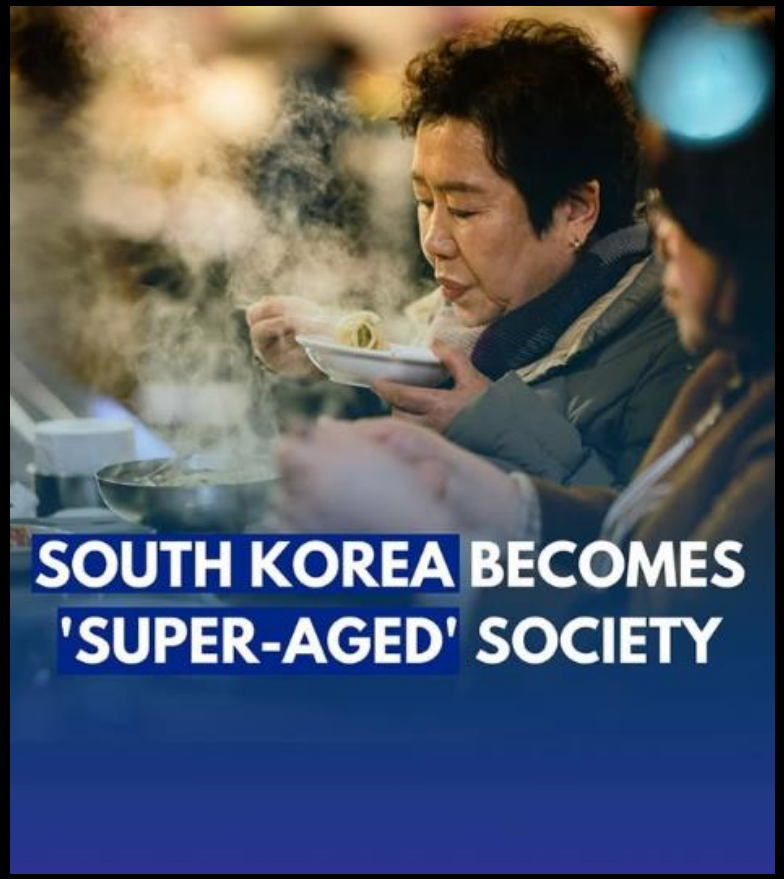

- साउथ कोरिया की कुल आबादी में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का योगदान 20% से अधिक हिस्सा हो गया है जिस कारण वह 'सुपर-एज्ड (Super-aged)' केटेगरी में आ गया है।

- दक्षिण कोरिया एशिया में 'सुपर-एज्ड' समाज वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश जापान है।

- **वृद्धजन और उनकी स्थिति :–**

- भारत में

- The United Nations Population Fund (UNFPA) 2023 के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में 2050 तक वृद्धजनों की आबादी 20% से अधिक हो जाने का अनुमान है।

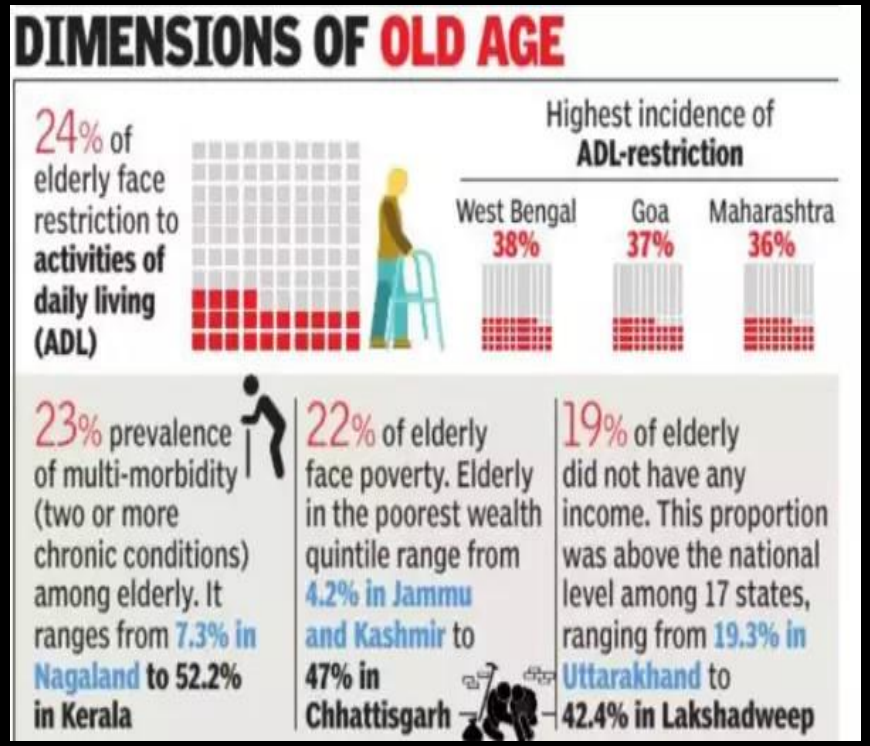

- वैश्विक स्तर पर
- 2020 में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या एक अरब थी।
- जबकि 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी।
- • जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी प्रारंभ में जापान जैसे उच्च आय वाले देशों में देखी गई थी।
- हालांकि, अब वृद्धजनों की आबादी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इन देशों में वृद्ध जनसंख्या की हिस्सेदारी दो-तिहाई तक पहुंच सकती है।

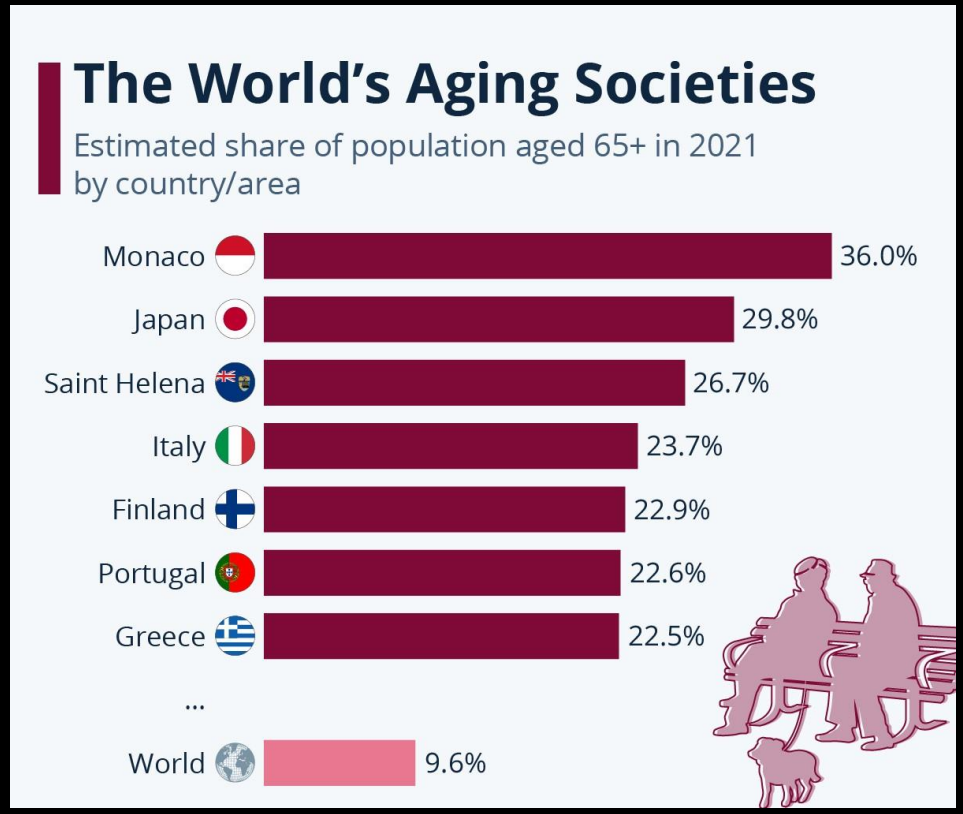

- वृद्धजन के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक स्तर :–**

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति (2016-2020): हेल्दी एजिंग और आयु-अनुकूल परिवेश पर ध्यान केंद्रित।

- संयुक्त राष्ट्र-मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग (2002): वृद्धजनों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना।

- सतत विकास लक्ष्य (SDGs): SDG 3 (स्वास्थ्य) और SDG 10 (असमानता को कम करना) के माध्यम से वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित।

- यू.एन. द्वारा 2021 से 2030 तक डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित।

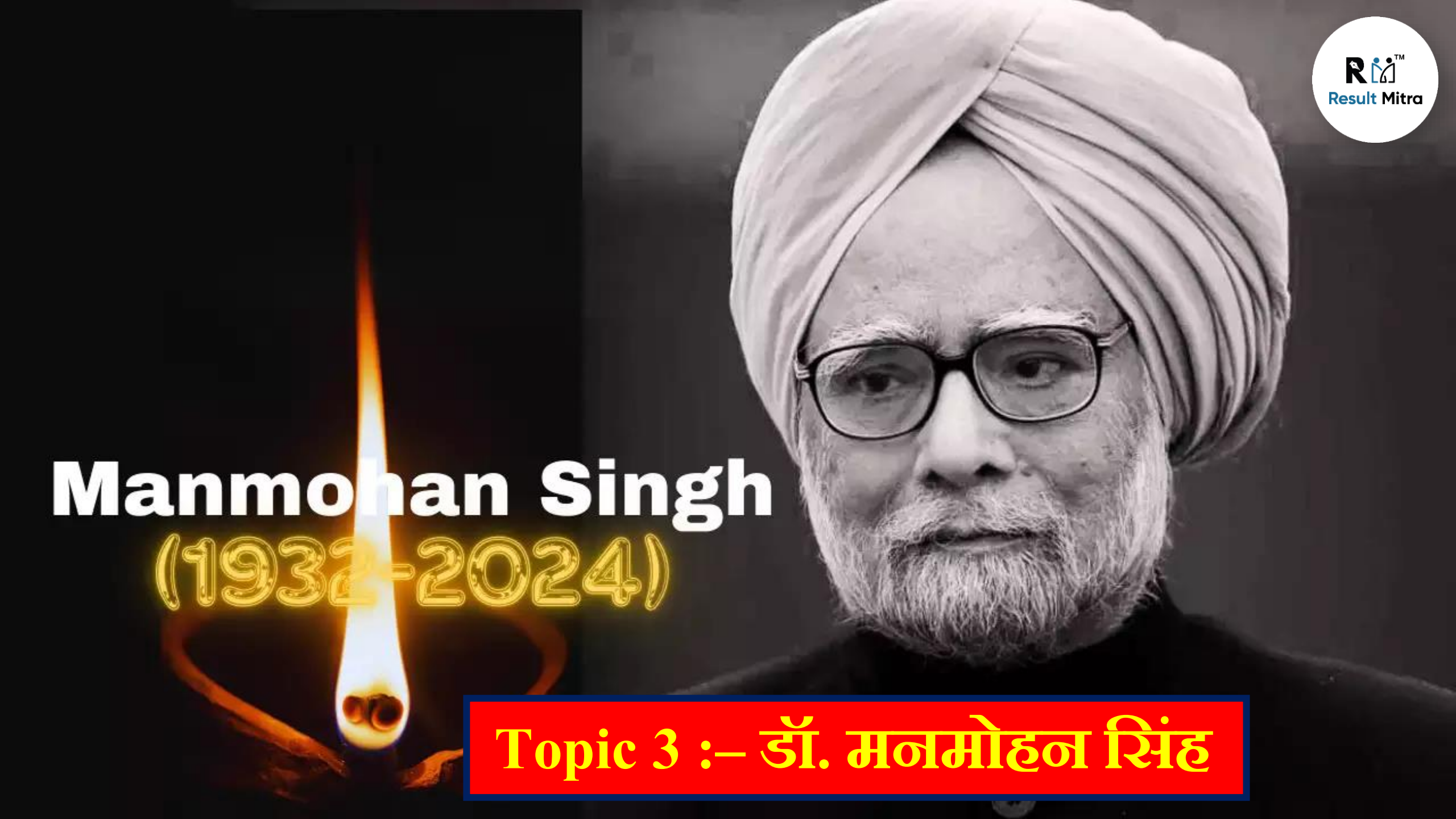
Result Mitra
Manmohan Singh
(1932-2024)
Topic 3 :– डॉ. मनमोहन सिंह

❑ भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह का निधन हो गया हैं

❑ 2004 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया।

❑ वे भारतीय अर्थशास्त्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं और अपनी सादगी, विद्वता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं।

मुख्य जानकारी:

1. जन्म: 26 सितंबर 1932, गाह (अब पाकिस्तान में)।

2. शिक्षा:
❑ पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक।
❑ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर।
❑ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल।

3. पेशेवर जीवन:

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (1982–1985)।

- ❑ भारत के वित्त मंत्री (1991–1996)।
- ❑ 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए।

4. प्रधानमंत्री कार्यकाल:

- ❑ 2004 से 2014 तक उन्होंने यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार का नेतृत्व किया।
- ❑ उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की।

- 5. सम्मान: उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।

- मनमोहन सिंह के पांच निर्णायक फैसले

- **Right To Education Act (2009)**

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act) भारत में एक ऐतिहासिक कानून है, जिसे 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

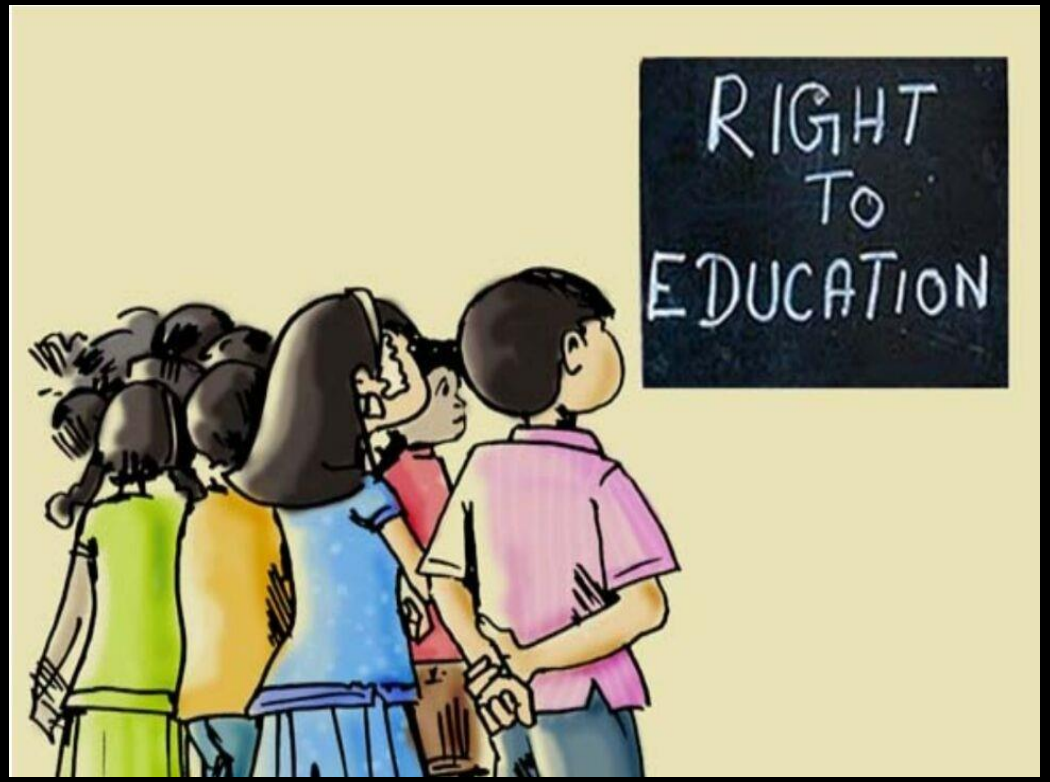

मुख्य विशेषताएं:

1. उम्र का दायरा:

- ❑ 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी।

2. नि:शुल्क शिक्षा:

- ❑ सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी।

- ❑ निजी स्कूलों को भी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी।

3. समान शिक्षा का अधिकार:

- ❑ बच्चों के बीच जाति, धर्म, लिंग या किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना समान अवसर।

4. स्कूलों की जिम्मेदारी:

- ❑ सभी स्कूलों को न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा, जैसे शिक्षकों की योग्यता और स्कूल की बुनियादी सुविधाएं।

- ❑ बच्चों को उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल उपलब्ध कराना।

5. बच्चों के अधिकार:

- ❑ बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश का अधिकार।
- ❑ किसी भी बच्चे को परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और स्कूल से निकाला नहीं जाएगा (हालांकि, यह प्रावधान 2019 में संशोधित किया गया)।

6. शिक्षा का उद्देश्य:

- ❑ गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना, जो बच्चों के समग्र विकास में सहायक हो।

7. दंड का प्रावधान:

- यदि माता-पिता या संरक्षक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं या कोई भी स्कूल अधिनियम का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

महत्व:

- इस अधिनियम ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत है।

- यह बच्चों के विकास और गरीबी उन्मूलन में एक बड़ा कदम माना जाता है।

- यह अधिनियम भारत में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और समाज में समानता लाने के लिए एक मील का पत्थर है।

Right To Information Act (2005)

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act) भारतीय नागरिकों को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

❑ उद्देश्य:

1. पारदर्शिता सुनिश्चित करना:

❑ सरकारी प्रक्रियाओं, नीतियों और निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाना।

2. जवाबदेही लाना:

❑ सरकारी अधिकारियों और संस्थानों को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाना।

3. भ्रष्टाचार में कमी:

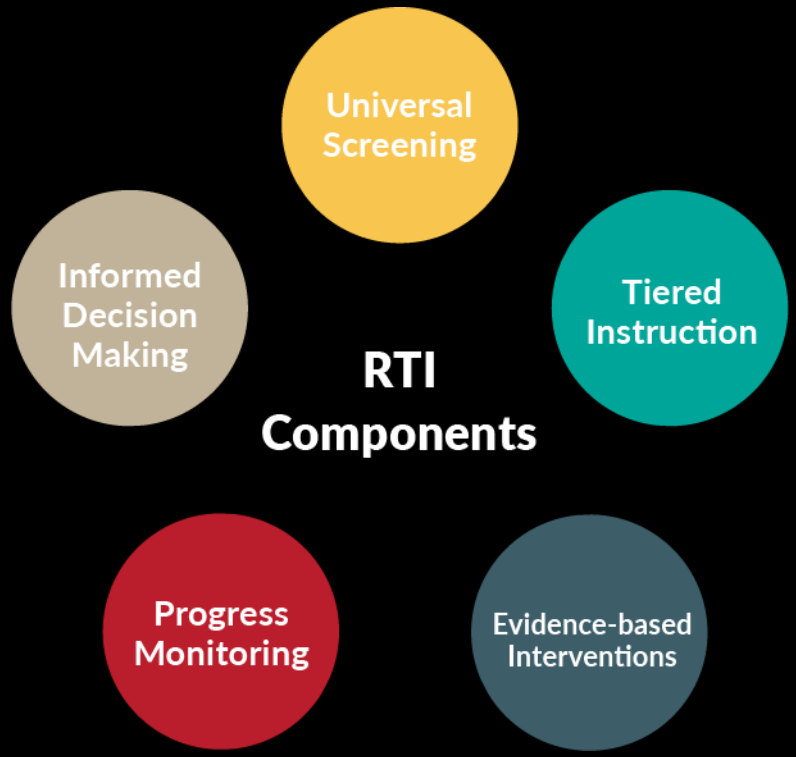

- सरकारी कामकाज में पारदर्शिता से भ्रष्टाचार को रोकना।

मुख्य प्रावधान:

1. सूचना का अधिकार:

- किसी भी सरकारी विभाग, संस्था, या संगठन से सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

- सूचनाएं सभी स्तरों पर (केंद्र, राज्य, पंचायत) उपलब्ध होंगी।

2. सूचना का दायरा:

- अधिनियम के तहत लिखित दस्तावेज, ईमेल, फाइल नोटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, टेंडर आदि को शामिल किया गया है।

3. समय सीमा:

- सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा।

- यदि जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी।

4. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- नागरिक एक आवेदन के माध्यम से किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकते हैं।

- इसके लिए न्यूनतम शुल्क (आमतौर पर ₹10) निर्धारित किया गया है।

- सूचना का अधिकार सभी सरकारी विभागों पर लागू है, लेकिन कुछ विशेष एजेंसियों को छूट दी गई है (जैसे खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां)।

5. सूचना आयोग:

- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC) की स्थापना की गई है।

- ये आयोग सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन और शिकायतों के निपटारे की निगरानी करते हैं।

6. अपवाद (छूट):

- ❑ कुछ विशेष प्रकार की सूचनाएं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, गोपनीय जानकारी या विदेशी संबंधों से जुड़ी सूचनाएं, अधिनियम के तहत छूट प्राप्त हैं।

- ❑ **महत्व:**

1. लोकतंत्र को मजबूत बनाना:

- ❑ लोगों को उनकी सरकार की कार्यप्रणाली समझने और उसमें भागीदारी का मौका मिलता है।

2. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण:

- ❑ जनता की निगरानी से सरकारी तंत्र में ईमानदारी बढ़ती है।

3. सशक्त नागरिक:

- नागरिकों को उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।

संबंधित अनुच्छेद:

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अंतर्गत आता है।

- इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से भी जोड़ा जाता है।

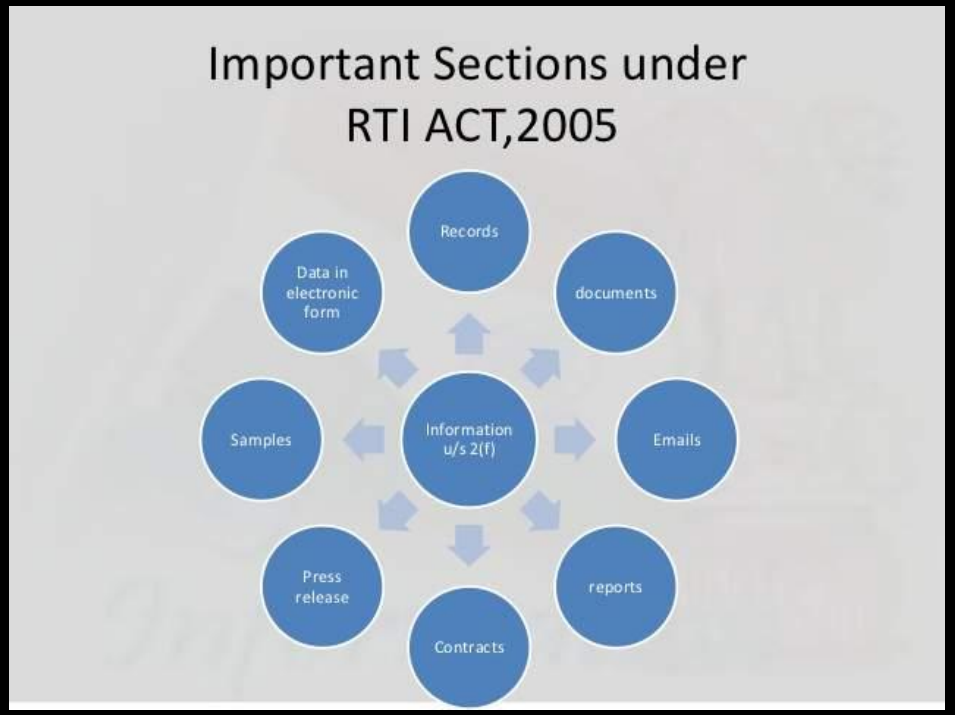

चुनौतियां:

1. अधिकारियों की लापरवाही:

❑ कई बार अधिकारी समय पर सही जानकारी नहीं देते।

2. भ्रष्टाचार:

❑ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया में बाधाएं डाली जाती हैं।

3. गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दे:

❑ कई बार जानकारी साझा करना सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।

Result Mitra

UPSC तैयारी के लिए उपयोगी बिंदु:

- ❑ संविधान में स्थान: अनुच्छेद 19 और 21 से संबंध।
- ❑ पारदर्शिता और जवाबदेही: लोकतंत्र के स्तंभ।
- ❑ वर्तमान घटनाएं: सूचना आयोग और आरटीआई से संबंधित महत्वपूर्ण मामले।
- ❑ चुनौतियां और समाधान: संभावित सुधारों के सुझाव।
- ❑ आरटीआई अधिनियम, 2005 ने आम नागरिक को शक्तिशाली बना दिया है और यह सरकार और नागरिकों के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है।

MGNREGA (2005)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (Manrega) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और रोजगार योजना है। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण विकास में योगदान देने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से पूरे देश में प्रभावी हुआ।

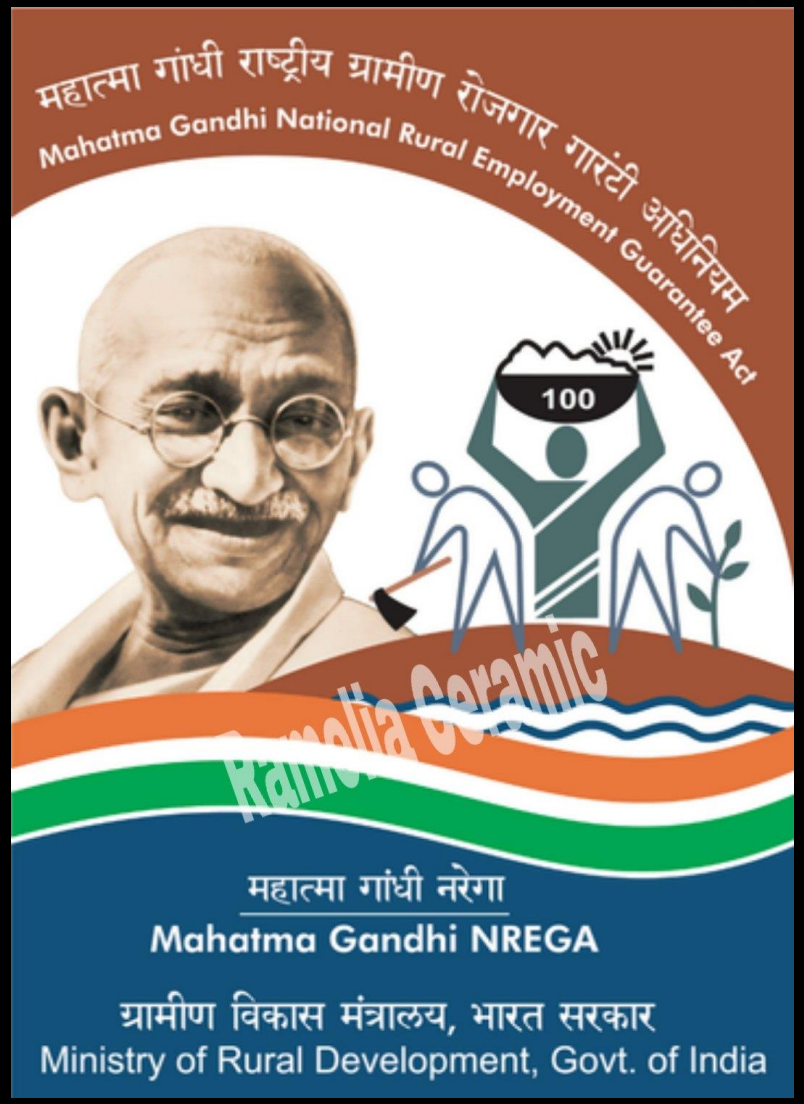

उद्देश्य:

- 1. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी:

- हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना।

2. गरीबी उन्मूलन:

- ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार।

3. सतत विकास:

- जल संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

4. सामाजिक समावेशन:

- हाशिये पर खड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाना।

मुख्य प्रावधान:

1. रोजगार की गारंटी:

- ❑ हर ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

- ❑ यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, तो भत्ता दिया जाएगा।

2. कार्य का प्रकार:

- ❑ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण जैसे जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, सिंचाई सुविधाएं आदि।
केवल मैनुअल कार्य, मशीनों का उपयोग सीमित।

3. पंजीकरण और जॉब कार्ड:

❑ ग्रामीण परिवारों को ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराना होगा और उन्हें जॉब कार्ड जारी किया जाएगा।

4. समयबद्ध भुगतान:

❑ मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है।

❑ भुगतान में देरी होने पर विलंब शुल्क लागू होता है।

5. महिलाओं की भागीदारी:

❑ महिलाओं के लिए कम से कम 33% रोजगार आरक्षित है।

6. पारदर्शिता और जवाबदेही:

❑ ग्राम सभाओं और सोशल ऑडिट के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी।

❑ सूचना का अधिकार (rti) के तहत कामकाज पारदर्शी।

7. शिकायत निवारण तंत्र:

❑ योजना के तहत किसी भी शिकायत के लिए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर तंत्र स्थापित।

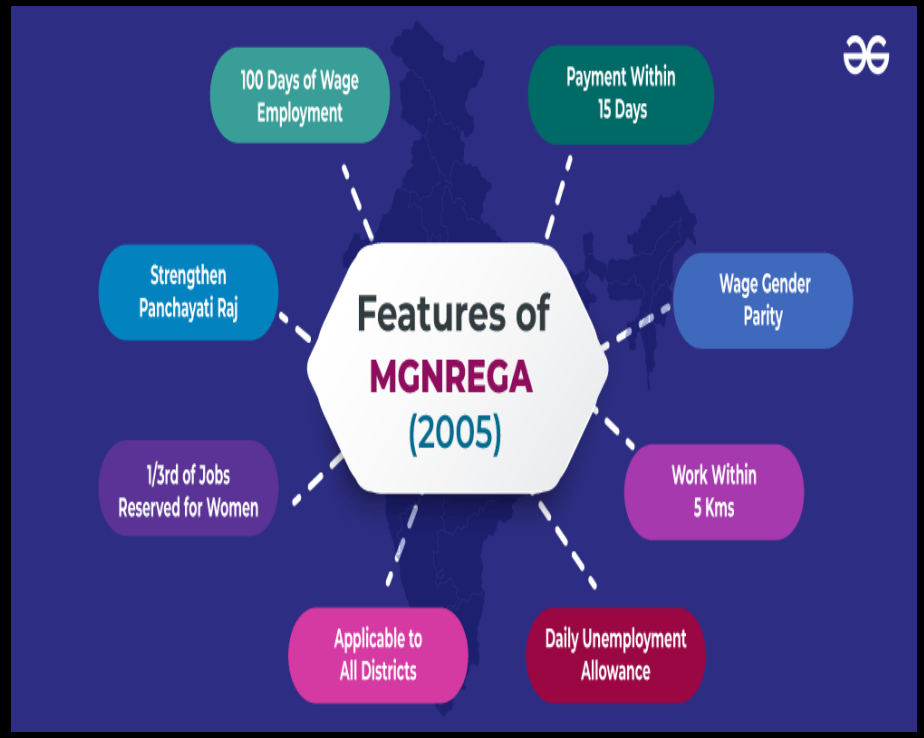

महत्व:

1. गरीबी उन्मूलन:

❑ ग्रामीण गरीबों को आय का स्रोत प्रदान करता है।

2. ग्रामीण विकास:

- ❑ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास।

3. सामाजिक न्याय:

- ❑ महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

4. सामाजिक सुरक्षा:

- ❑ बेरोजगारी की स्थिति में ग्रामीण परिवारों के लिए एक कुशन के रूप में कार्य करता

HIGHEST HIKE IN...

State/UT	FY2023-24	FY2024-25	Increase
Goa	₹322	₹356	10.56%
Karnataka	₹316	₹349	10.44%
Andhra Pradesh	₹272	₹300	10.29%
Telangana	₹272	₹300	10.29%
Chhattisgarh	₹221	₹243	9.95%

LOWEST HIKE IN...

State/UT	FY2023-24	FY2024-25	Increase
Rajasthan	₹255	₹266	4.31%
Kerala	₹333	₹346	3.90%
Lakshadweep	₹304	₹315	3.62%
Uttar Pradesh	₹230	₹237	3.04%
Uttarakhand	₹230	₹237	3.04%

❑ वित्त पोषण:

❑ योजना में 75% वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और बाकी राज्य सरकार की।

❑ मजदूरी का खर्च केंद्र वहन करता है, जबकि सामग्री का खर्च राज्य और केंद्र साझा करते हैं।

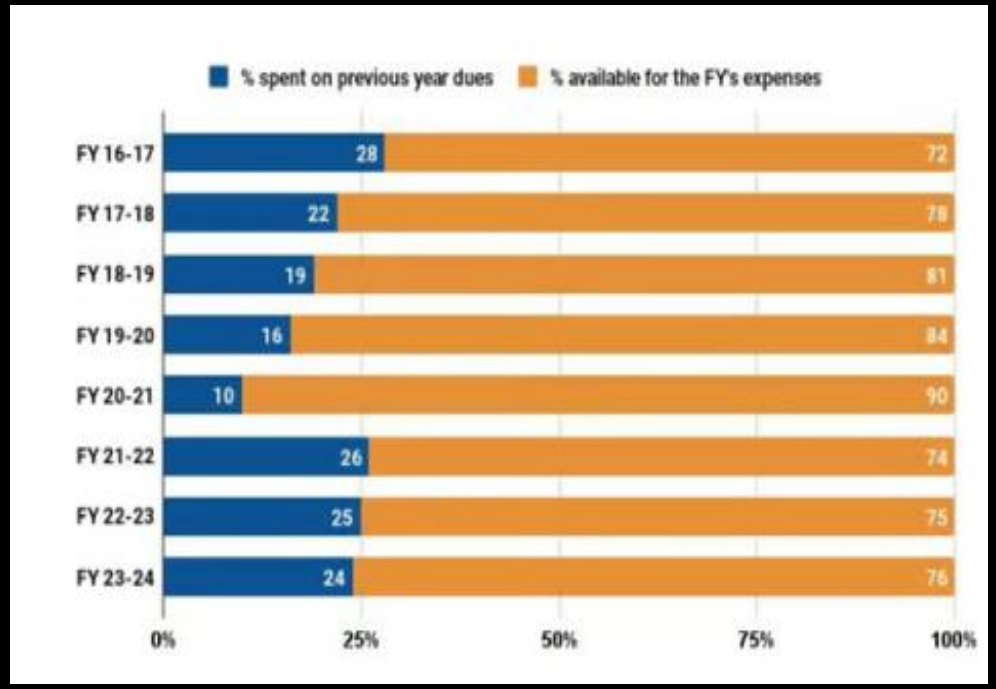

चुनौतियां:

1. भ्रष्टाचार:

❑ मजदूरी भुगतान में घोटाले और अपारदर्शिता।

2. असमान कार्यान्वयन:

❑ योजना की सफलता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है।

3. विलंबित भुगतान:

❑ मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिलना।

4. कम जागरूकता:

❑ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को योजना की जानकारी नहीं है।

सुधार के सुझाव:

1. पारदर्शिता और निगरानी:

❑ तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग।

2. समयबद्ध भुगतान:

❑ भुगतान प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना।

Result Mitra

3. शिक्षा और जागरूकता:

❑ लोगों को योजना के अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना।

यूपीएससी के लिए उपयोगी बिंदु:

1. संबंधित अनुच्छेद:

❑ अनुच्छेद 41 (राज्य का नीति निर्देशक तत्व)।

2. पहल:

❑ गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा में योगदान।

3. वर्तमान संदर्भ:

❑ आर्थिक संकट और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका।

- एमजीएनआरईजीए भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक रोजगार गारंटी योजना है और इसे ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आधार माना जाता है।

National Food Security Act (2013)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act), जिसे आमतौर पर NFSA कहा जाता है, भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सस्ती कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

Result Mitra

उद्देश्य:

1. भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना:

❑ गरीब और कमजोर वर्गों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना।

2. भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना:

❑ कमजोर वर्गों में खाद्य असुरक्षा को खत्म करना।

3. सामाजिक न्याय और समावेशन:

❑ सभी वर्गों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मुख्य प्रावधान:

1. लाभार्थी कवरेज:

- ग्रामीण क्षेत्रों में 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों में 50% जनसंख्या को कवर किया गया है।
- यह योजना देश की दो-तिहाई आबादी को लाभान्वित करती है।

2. खाद्यान्न की दर:

- लाभार्थियों को सस्ते दरों पर अनाज प्रदान किया जाता है:
- गेहूं: ₹2 प्रति किलोग्राम।
- चावल: ₹3 प्रति किलोग्राम।

- मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा): ₹1 प्रति किलोग्राम।
- 3. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS):
- TPDS के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण।
- 4. मुफ्त भोजन योजना:
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल तक के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹6,000 का मातृत्व लाभ।

Result Mitra

5. राज्य की जिम्मेदारी:

- ❑ खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

- ❑ खाद्यान्न का परिवहन और भंडारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

6. कानूनी अधिकार:

- ❑ पात्र व्यक्तियों को उनके हिस्से का अनाज कानूनी रूप से प्राप्त करने का अधिकार है।

- ❑ यदि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया, तो सरकार को मुआवजा देना होगा।

Result Mitra

❑ 7. ग्रेवांस रिड्रेसल तंत्र:

❑ शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की गई है।

❑ जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

❑ लाभार्थी वर्ग:

❑ 1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार।
❑ 2. प्राथमिकता वाले परिवार।
❑ 3. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं।
❑ 4. बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal)।

Result Mitra

महत्व:

1. भुखमरी और कुपोषण पर रोक:

❑ खाद्यान्न तक सस्ती पहुंच से गरीबों की स्थिति में सुधार।

2. गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा:

❑ कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना

3. समानता और समावेश:

❑ ग्रामीण और शहरी गरीबों दोनों को लाभ पहुंचाना।

4. ग्रामीण विकास:

❑ गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार।

चुनौतियां:

1. लक्ष्यीकरण में गलतियां:

❑ पात्र और अपात्र व्यक्तियों की पहचान में त्रुटियां।

2. भ्रष्टाचार:

❑ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और खाद्यान्न की कालाबाजारी।

3. लॉजिस्टिक्स और भंडारण समस्याएं:

❑ खाद्यान्न का उचित भंडारण और वितरण।

4. राज्यों की तैयारी:

❑ कई राज्यों में अधिनियम को लागू करने में ढील।

Result Mitra

सुधार के सुझाव:

1. पारदर्शिता बढ़ाना:

❑ टेक्नोलॉजी का उपयोग (जैसे बायोमेट्रिक आधारित पीडीएस)।

2. लक्ष्यीकरण सुधार:

❑ सही लाभार्थियों की पहचान के लिए डेटा सत्यापन।

3. भ्रष्टाचार पर रोक:

❑ खाद्यान्न वितरण प्रणाली में निगरानी।

4. भंडारण सुधार:

❑ आधुनिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना।

Result Mitra

यूपीएससी के लिए उपयोगी बिंदु:

1. अनुच्छेद 21 का संबंध:

❑ जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल।

2. कृषि और खाद्य सुरक्षा:

❑ कृषि उत्पादन और खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में।

3. पोषण और सामाजिक सुरक्षा:

पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न।

4. चुनौतियां और समाधान:

❑ अधिनियम की खामियों पर विश्लेषणात्मक उत्तर।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भारत में सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन और पोषण में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार बनाकर भारत के गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त करती है।

Land Acquisition Act (2013)

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013), जिसे संक्षेप में LARR Act, 2013 कहा जाता है, भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ और यह 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का स्थान लेता है।

Result Mitra

उद्देश्य:

1. उचित मुआवजा प्रदान करना:

❑ अधिग्रहित भूमि के मालिकों और प्रभावित परिवारों को।

2. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सुनिश्चित करना:

❑ विस्थापित परिवारों के लिए।

3. पारदर्शिता बढ़ाना:

❑ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में।

4. सामाजिक और आर्थिक न्याय:

❑ भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना।

मुख्य प्रावधान:

1. मुआवजा:

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के लिए बाज़ार मूल्य का 4 गुना मुआवजा।
- शहरी क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का 2 गुना मुआवजा।

2. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन:

- प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए वित्तीय और भौतिक सहायता।

3. सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA):

- भूमि अधिग्रहण से पहले, परियोजना का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन अनिवार्य।
- अध्ययन में स्थानीय समुदायों की राय ली जाएगी।
- 4. अनुमति की आवश्यकता:
- भूमि अधिग्रहण के लिए 70% भूमि मालिकों की सहमति (यदि सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना हो)। 80% भूमि मालिकों की सहमति (यदि निजी परियोजना हो)।

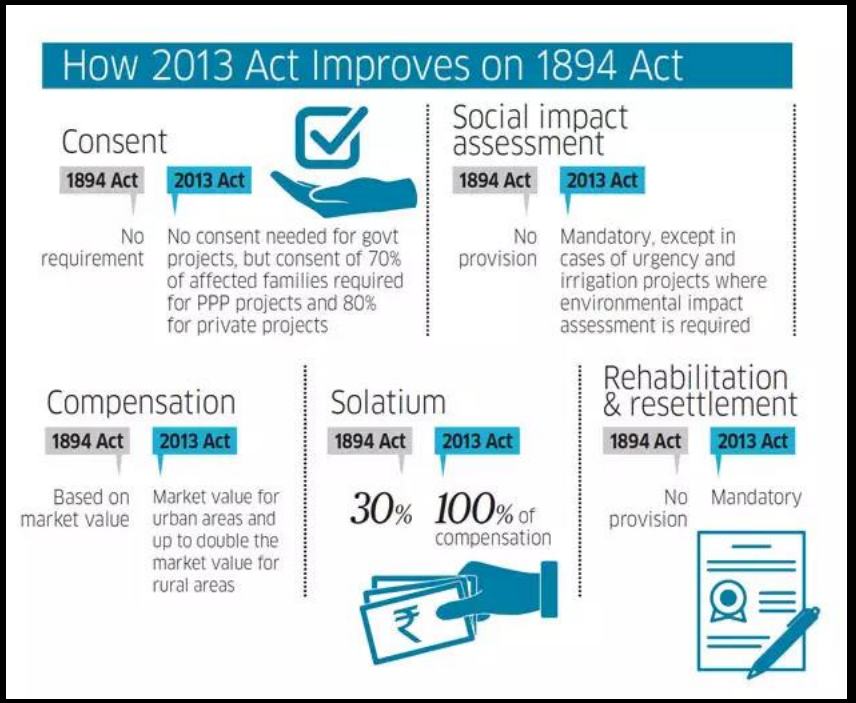

5. पारदर्शिता:

- ❑ अधिग्रहण प्रक्रिया के हर चरण को सार्वजनिक रूप से साझा करना।
- ❑ प्रभावित व्यक्तियों को प्रक्रिया की जानकारी देना।

6. विशेष प्रावधान:

- ❑ अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भूमि के अधिग्रहण में अतिरिक्त सुरक्षा।

7. उद्देश्य:

- ❑ भूमि केवल सार्वजनिक उद्देश्य जैसे बुनियादी ढांचे, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जा सकती है।

8. ग्रेवांस रिड्रेसल:

- ❑ प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

Result Mitra

महत्व:

1. भूस्वामियों के अधिकारों की सुरक्षा:

❑ मुआवजे और पुनर्वासन के प्रावधान।

2. पारदर्शिता और जवाबदेही:

❑ प्रक्रिया में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक।

3. सामाजिक समावेशन:

❑ सामाजिक प्रभाव आकलन से स्थानीय समुदाय की भागीदारी।

4. समाज और विकास के बीच संतुलन:

❑ विकास परियोजनाओं और प्रभावित लोगों के अधिकारों में संतुलन।

Result Mitra

चुनौतियां:

1. लंबी और जटिल प्रक्रिया:

❑ सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति प्रक्रिया को पूरा करने में समय और संसाधनों की आवश्यकता।

2. विकास परियोजनाओं में देरी:

❑ भूमि अधिग्रहण की जटिलता के कारण।

3. लागत में वृद्धि:

❑ उच्च मुआवजा और पुनर्वास के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है।

4. विरोध और विवाद:

❑ भूमि मालिकों और सरकार/निजी कंपनियों के बीच विवाद।

Result Mitra

सुधार के सुझाव:

1. सरल प्रक्रिया:

❑ अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना।

2. सामुदायिक भागीदारी:

❑ प्रभावित समुदायों को परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार बनाना।

3. वित्तीय योजना:

❑ मुआवजे और पुनर्वासन की लागत का बेहतर प्रबंधन।

4. संवेदनशीलता बढ़ाना:

❑ भूमि अधिग्रहण में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का ध्यान रखना।

Result Mitra

यूपीएससी के लिए उपयोगी बिंदु:

Result Mitra

1. संविधान से संबंधित अनुच्छेद:
- ❑ अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार।
- ❑ अनुच्छेद 19(1)(f): संपत्ति रखने का अधिकार (संशोधन के बाद हटा दिया गया)।

2. 1894 अधिनियम बनाम 2013 अधिनियम:
- ❑ पारदर्शिता और पुनर्वास में सुधार।

3. सामाजिक प्रभाव आकलन:
- ❑ विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू।

4. वर्तमान संदर्भ:
- ❑ भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद और नीतिगत सुधार।
- ❑ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 ने विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। यह अधिनियम पारदर्शिता और प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता देकर भूमि अधिग्रहण को अधिक न्यायसंगत बनाता है।

• Government Notification:
The Carbon Credit Trading Scheme was notified by the Government in December 2023.
• Agriculture Sector:
The scheme includes the agriculture sector as one of the selected sectors for carbon trading.
• Carbon Credit Issuance:
Register GHG projects to earn credits
• Voluntary Carbon Market:
Framework developed by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Carbon Trading in Agriculture
Result Mitra
Creating a Sustain
कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र

❑कार्बन ट्रेडिंग के तहत चयनित क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र एक है।
❑सरकार ने दिसंबर 2023 में कार्बन ट्रेडिंग तंत्र के कार्यान्वयन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया।
❑इस योजना के द्वारा कार्बन ट्रेडिंग के तहत किसानों एवं किसानों से संबंधित संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
❑भारत में कृषि क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक रूपरेखा तैयार की है

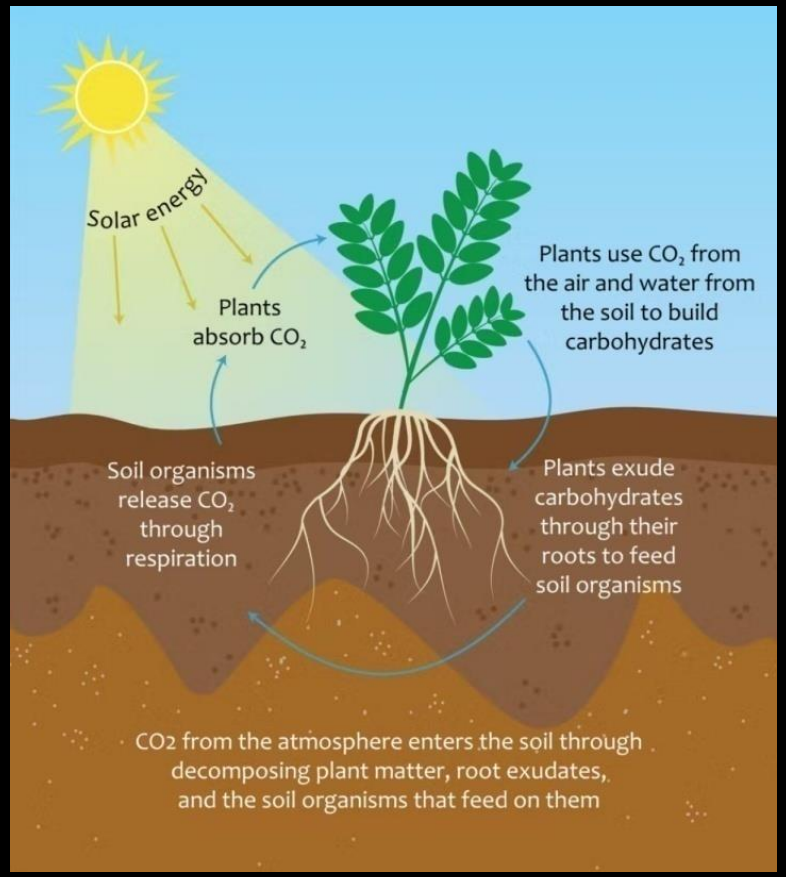

❑**इस रूपरेखा का उद्देश्य :–**

1. छोटे और सीमांत किसानों को कार्बन क्रेडिट लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

2. किसानों को जब कार्बन बाजार से परिचित कराया जाएंगा तो इससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

3. कार्बन बाजार से परिचित होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को किसान अधिक तेजी से अपनाने के लिए प्रतीत होंगे।

4.किसान टिकाऊ कृषि पद्धतियों अपनाने के लिए प्रेरित होंगे ।

5. किसान कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे

6. किसान मिट्टी, पानी, जैव-विविधता आदि जैसी प्राकृतिक पूंजी के संदर्भ में अन्य कृषि-पारिस्थितिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

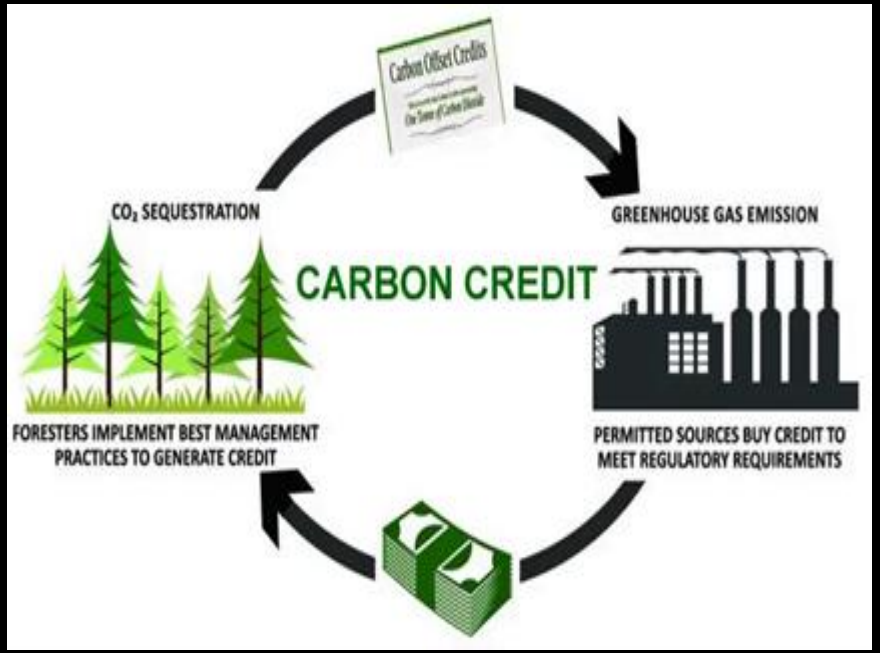

कार्बन ट्रेडिंग (Carbon Trading) एक बाजार आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड) को नियंत्रित और कम करना है। यह प्रक्रिया क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों से प्रेरित है। यूपीएससी परीक्षा में यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के तहत महत्वपूर्ण विषय है।

कार्बन ट्रेडिंग की परिभाषा

कार्बन ट्रेडिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां उत्सर्जन कोटा (emission quotas) को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अंतर्गत कंपनियां या देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सीमा के भीतर रहने का प्रयास करते हैं, और यदि उनके पास अतिरिक्त उत्सर्जन अनुमति है तो वे इसे उन इकाइयों को बेच सकते हैं जो अपनी सीमा पार कर रहे हैं।

Result Mitra

कार्बन ट्रेडिंग के प्रकार

1. कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली (Cap-and-Trade System):
इसमें एक सीमा तय की जाती है कि कुल कितना उत्सर्जन किया जा सकता है। जो इकाइयां इस सीमा के भीतर रहती हैं, वे अतिरिक्त क्रेडिट बेच सकती हैं। जो इकाइयां सीमा से अधिक उत्सर्जन करती हैं, उन्हें क्रेडिट खरीदना होता है।

2. कार्बन ऑफसेटिंग (Carbon Offsetting):
वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे रखने का लक्ष्य।
इसमें सभी देशों के लिए समान जिम्मेदारी की बात कही गई।

इसमें कंपनियां या देश अन्य परियोजनाओं (जैसे पेड़ लगाना या नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट) में निवेश करके अपने उत्सर्जन की भरपाई करते हैं।

इन परियोजनाओं से उत्पन्न क्रेडिट को कार्बन मार्केट में बेचा जा सकता है।

महत्वपूर्ण समझौते और पहल
1. क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol):
1997 में अपनाया गया।

इसमें विकसित देशों पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की जिम्मेदारी डाली गई।

क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (CDM) और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन जैसे तंत्र इसके अंग हैं।

Result Mitra

2. पेरिस समझौता (Paris Agreement):

2015 में अपनाया गया।
भारत में स्थिति
भारत ने 2022 में नेशनल कार्बन मार्केट बनाने की योजना शुरू की।
पैट (PAT) योजना: भारत में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (Perform, Achieve and Trade) योजना चलाई जाती है।

भारत ने नेशनल डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) के तहत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

कार्बन ट्रेडिंग के लाभ
1. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।

कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित यूपीएससी प्रीलिम्स प्रश्न इस प्रकार हो सकता है:---

प्रश्न:कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से किसान अपनी भूमि में कार्बन सिंक (Carbon Sink) को बढ़ावा देकर आय अर्जित कर सकते हैं।
2. कृषि में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जैविक खेती और शून्य जुताई तकनीक सहायक हो सकती है।
3. कार्बन क्रेडिट केवल ऊर्जा उत्पादन उद्योग के लिए प्रासंगिक हैं, कृषि के लिए नहीं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

कूट:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1
(d) 1, 2 और 3

Result Mitra
INDIAN MILITARY BASES
OUTSIDE INDIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
UZBEKISTAN
TURKMENISTAN
CHINA
UKRAINE
TURKEY
SYRIA
IRAQ
IRAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
NEPAL
INDIA
MYANMAR (BURMA)
LAOS
THAILAND
CAMBODIA
SAUDI ARABIA
OMAN
EGYPT
ERITREA
YEMEN
SUDAN
CHAD
NIGER
ETHIOPIA
SOMALIA
KENYA
UGANDA
NIGERIA
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
TANZANIA
ALGERIA
BELARUS
FINLAND
NORWAY
GREECE
GUINEA
भारत से बाहर स्थित भारतीय सैन्य बेस

❑ मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर बना सैन्य अड्डा।

❑मॉरीशस हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, यह देश अफ्रीका के पूर्वी तट पर अवस्थित है।

भूमि:

❑मेडागास्कर से इसकी दूरी लगभग 500 मील/800 किमी पूर्व में।

❑अगालेगा द्वीप, मॉरीशस के द्वीप समूह में प्रमुख द्वीप है जो 580 मील/930 किमी उत्तर की ओर स्थित है।

❑सामरिक दृष्टि से मॉरीशस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है।

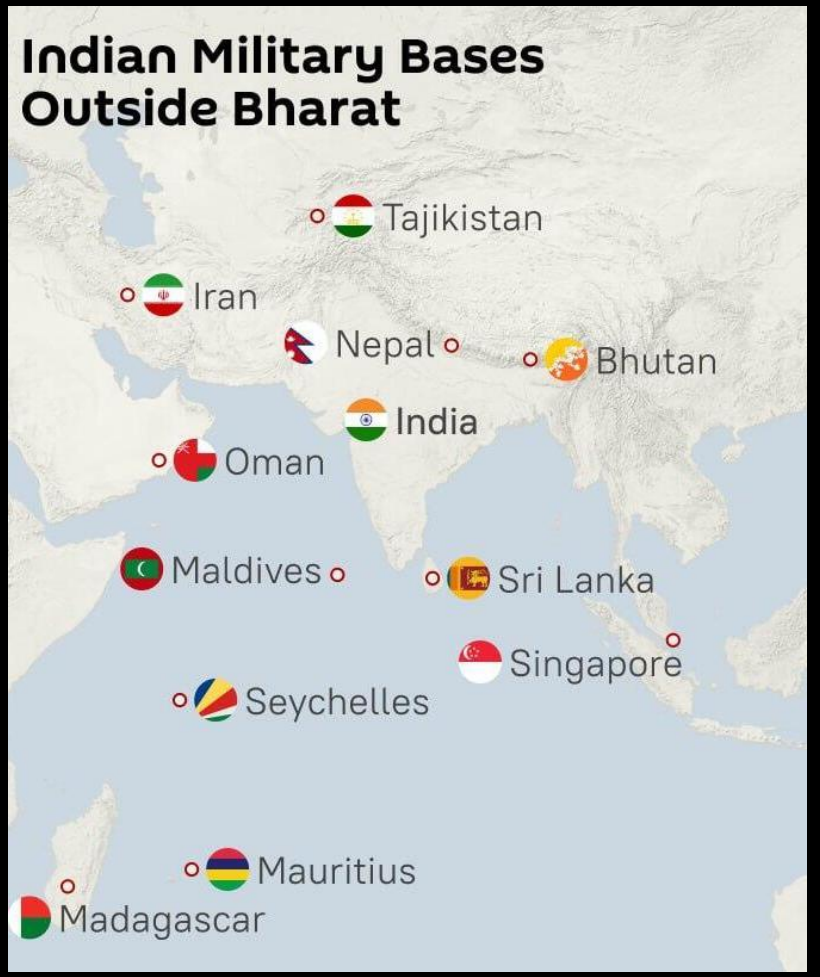

❑ भारत हिंद महासागर की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मॉरीशस के साथ में समझौते कर रहा है

❑भारत और मॉरीशस के मध्य सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अगालेगा द्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

❑इन समझौता में महत्वपूर्ण है समुद्री सुरक्षा

❑महासागर एक लंबे समय से समुद्री लुटेरों की समस्या से जूझ रहा है साथ में ही भारत को घेरने की चीन की जो नीति है उससे भी भारत अपना बचाव करना चाहता है

❑**भारत और मॉरीशस के इन समझौते से**

1.समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

2.भारत-मॉरीशस के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी।

3.भारत हिंद महासागर में और अच्छे से निगरानी रख सकेगा

❑मॉरीशस में सेंट जेम्स जेट्टी नामक हवाई पट्टी का उदघाटन मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ किया

❑साथ ही दोनों ने छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।

❑**भारत और मॉरीशस संबंध :–**

❑दोनों देशों के मध्य संबंध स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं।

❑जब महात्मा गांधी अक्टूबर 1901 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तो इस दौरान कुछ समय के लिए मॉरीशस में रुके।

❑मॉरीशस अपना का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाता है इस दिन ही गांधी जी में दांडी यात्रा (चौबीस दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक) को प्रारंभ किया है।

❑मॉरीशस की कुल आबादी में भारतीयों का लगभग 70 प्रतिशत है।

❑प्रधानमंत्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के (मई 2019 में) शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी शामिल हुए।

❑**भारत के अन्य देशों में स्थित अन्य मिलट्री बेस :–**

❑**ताजिकिस्तान (Tajikistan)**

❑**राजधानी :–** दुशांबे

❑ ताजिकिस्तान के फरखोर (Farkhor) में भारतीय मिलिट्री का एयर बेस मौजूद है.

❑**संचालन :–** भारतीय वायुसेना द्वारा.

❑ यह भारत का पहला ऐसा मिलिट्री बेस है, जो भारत से बाहर स्थापित किया गया .

❑भारतीय वायुसेना ने सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट को यहां तैनात किया हैं.

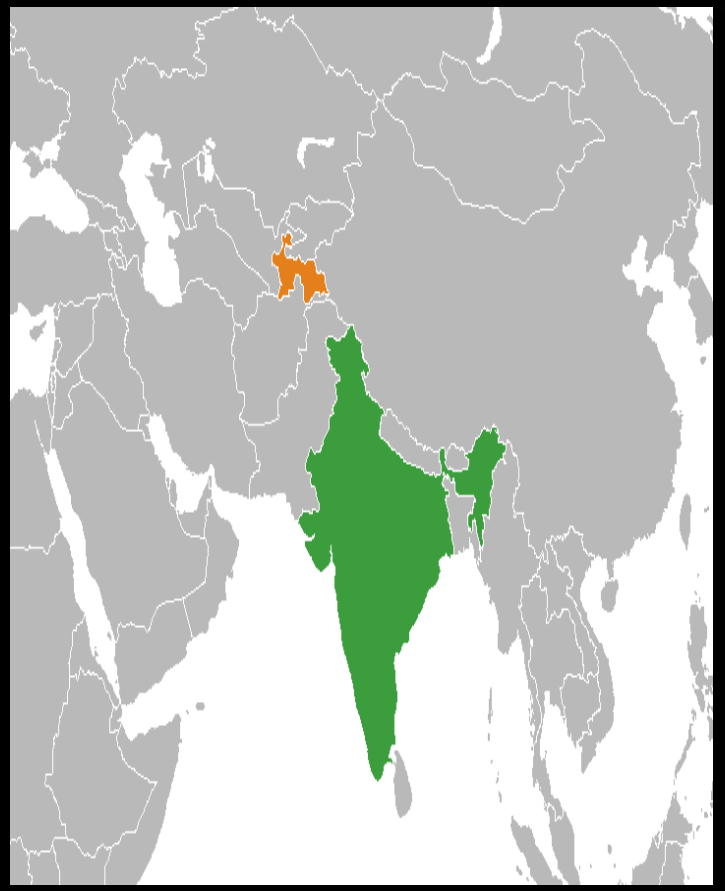

भूटान (Bhutan)

❑यहां भारत का एक सैन्य बेस एक स्थाई ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मौजूद है.

❑**नाम :–** भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम (IMTRAT) .

❑**स्थापना :–**1961-62 में की गई थी.

❑भूटान में रक्षामंत्री नहीं होते जिस कारण यहां मौजूद कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामलों में सलाह और सहायता प्रदान करता है.

❑**मैडागास्कर**

❑भारतीय मिलिट्री का उत्तरी मैडागास्कर में लिसनिंग पोस्ट और एक राडार फैसिलिटी मौजूद है.

❑**निर्माण :–** 2007 में

❑**निर्माण क्यों :–**

1. हिंद महासागर में जहाजों पर नजर रखी जा सके.
2. समुद्री संचार को सुना जा सके.

❑**ओमान (Oman)**

❑रास अल हद में भारतीय मिलिट्री का एक लिसनिंग पोस्ट .

❑साथ ही भारत के पास मस्कट नौसैनिक बेस पर बर्थिंग अधिकार है.

❑जिसका अर्थ होता है की इस जगह भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों, पनडुब्बियों आदि को जरूरत पड़ने पर ईंधन आदि की सहायता मिल जाएगी

❑Duqm में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का छोटा बेस मौजूद।

प्रश्न:भारत के सैन्य बेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का पहला विदेशी सैन्य बेस मेडागास्कर में स्थित है।
2. भारत ने मॉरीशस और सेशेल्स में अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सैन्य सुविधाएँ स्थापित की हैं।
3. भारतीय नौसेना ने ओमान के डुक्म (Duqm) बंदरगाह का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

कूट:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

THANK YOU

Result Mitra

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result